

राजस्थान वित्त विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 7,22,24,28 और 29 के उपबन्ध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (26) के विद्यमान उप-खण्ड (घ) के पश्चात्, और विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ड) कोई भी ऐसा भाण्डागार, रेलवे स्टेशन, रेलवे माल यार्ड, पार्सल कार्यालय, या कोई अन्य स्थान जहां कारबार के अनुक्रम में या अन्यथा परिवहन के लिए व्यवहारियों द्वारा माल रखा जाता है;" और

(ii) विद्यमान खण्ड (44) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(44) "संकर्म संविदा" से किसी संकर्म, जिसमें किसी जंगम या स्थावर संपित्त का संमजन, सन्निर्माण, निर्माण, परिवर्तन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, गढ़ना, खड़ा करना, स्थापित करना, सुसज्जीकरण, सुधार, मरम्मत या कमीशन किया जाना सम्मिलित है, के क्रियान्वयन की संविदा अभिप्रेत है;"।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (7) में, विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि ऐसा व्यवहारी, जो इस उप-धारा के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता है, इस उप-धारा के अन्तर्गत आने वाले माल के उसके द्वारा किये गये किसी विक्रय के बारे में माल की मात्रा के संबंध में अपने कर दायित्व की संगणना के प्रयोजन के लिए कोई व्यापार बट्टा या प्रोत्साहन अनुज्ञात नहीं करेगा।"।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 15 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में,-

(i) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(छ) छूट-प्राप्त माल से भिन्न माल के विनिर्माण में पूंजीगत माल के रूप में राज्य में उपयोग किये जाने,-";

(ii) उप-धारा (3) के विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(iiक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से, जो प्रथम बिन्दु पर कर संदत्त करता है, विक्रयों की आवली में प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल के;

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "विक्रयों की आवली में के प्रथम बिन्दु" से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य में प्रथम विक्रय अभिप्रेत है; या"; और

(iii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (4) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां राज्य में क्रय किये गये किसी माल का सहायताप्राप्त कीमत पर तत्पश्चात् विक्रय किया जाता है तो ऐसे माल के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञेय आगत कर ऐसे माल पर संदेय निर्गत कर से अधिक नहीं होगा।"

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो, विहित किया जाये और विवरणी को विलम्ब से दिये जाने के लिए पचास हजार रुपये से अनधिक की यथाविहित विलम्ब फीस के साथ, निर्धारण प्राधिकारी को या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी देगा।"

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 की विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "मामला बनाने की तारीख से" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको किसी व्यवहारी को इस धारा के अनुसरण में प्रथम बार कोई नोटिस जारी किया जाता है।"

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (4) में विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"

11. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में,-

- (i) उप-धारा (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा; और
- (ii) विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय कोई रकम उस तारीख से, जिसको वह देय हो जाती है, तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदत्त कर दी जायेगी और यदि ऐसी रकम उपरोक्त तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो उस पर, उपरोक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज देय होगा।"

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 58 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 58 हटायी जायेगी।

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 80 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 80 में,-

- (i) पार्श्व में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रमाणपत्र प्राप्त करने और" हटायी जायेगी;
- (ii) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) ऐसा कोई निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता, जो अपने कारबार के अनुक्रम में, कर के दायी माल के किसी परेषण की बुकिंग या परिदान लेने के लिए अपनी सेवाएं देता है या कर के दायी माल से संबंधित हक के किसी दस्तावेज को संभालता है, ऐसे सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी को, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता में वह अपने

कारबार का संचालन करता है, अपने कारबार के स्थान के बारे में ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में, और ऐसी रीति से, सूचना देगा, जो विहित की जाये।"।

14. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 83 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (7) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"।

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में नयी धारा 97ख का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 97क के पश्चात् और विद्यमान धारा 98 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**97ख. शक्तियों का प्रत्यायोजन.-** राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।"।

अध्याय 3

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

16. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया

जायेगा और 25.2.2008 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(5) "मनोरंजन" के अंतर्गत निम्नलिखित है,-

- (i) कोई प्रदर्शनी (प्रदर्शन), करतब, आमोद-प्रमोद, क्रीड़ा या खेल-कूद जिनमें व्यक्तियों को प्रवेश संदाय किये जाने पर दिया जाता है;
- (ii) ग्राहक को केबल सेवा प्रदान करना;
- (iii) डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा प्रदान करना;" और

(ii) खण्ड (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन उद्ग्रहीत" के पूर्व अभिव्यक्ति ",4कक और 4ककक" अन्तःस्थापित की जायेगी; और अभिव्यक्ति "4कक" 26.3.1999 से अन्तःस्थापित की गयी समझी जायेगी और अभिव्यक्ति "4ककक" 25.2.2008 से अन्तःस्थापित की गयी समझी जायेगी।

17. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 26.3.99 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"5. कर के संदाय की रीति.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन मनोरंजन कर ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, उद्ग्रहीत, संगणित और संदत्त किया जायेगा।

(2) मनोरंजन कर स्वत्वधारी द्वारा देय और उससे वसूलीय होगा।

(3) स्वत्वधारी ऐसी विवरणियां ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर भेजेगा जो विहित की जाये।"

18. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 5ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5ख की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ", धारा 4, 4क" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और 6क" के पूर्व अभिव्यक्ति ",4कक, 4ककक" अन्तःस्थापित की जायेगी; तथा अभिव्यक्ति "4कक" दिनांक 26.3.1999 से अन्तःस्थापित की गयी समझी जायेगी और अभिव्यक्ति "4ककक" दिनांक 25.2.2008 से अन्तःस्थापित की गयी समझी जायेगी।

19. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 9-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9-क के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4क" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या 6-क" के पूर्व अभिव्यक्ति ",4कक, 4ककक" अन्तःस्थापित की जायेगी; और अभिव्यक्ति "4कक" दिनांक 26.3.1999 से अन्तःस्थापित की गयी समझी जायेगी और अभिव्यक्ति "4ककक" दिनांक 25.2.2008 से अन्तःस्थापित की गयी समझी जायेगी।

20. कतिपय बातों, कार्रवाईयों, आदेशों इत्यादि का विधिमान्यकरण.- किसी न्यायालय, बोर्ड या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाईयां या किये गये आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई बातें, की गई कार्रवाईयां या किये गये आदेश समझे जायेंगे मानो कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बातें, कार्रवाईयां की गयीं या आदेश किये गये थे।

अध्याय 4

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

21. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के विद्यमान परन्तुक के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों, शर्तों और निर्बंधनों पर, जो अधिसूचना में अधिकथित किये जायें-

- (क) (i) उपभोक्ता द्वारा किसी भी उद्योग में माल के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में;
- (ii) किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग या उपभोग करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन में;

(iii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) में यथा परिभाषित किसी भी खान द्वारा या उसके संबंध में-

उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ख) लोक मार्गों पर प्रकाश के प्रयोजनार्थ या उसके संबंध में किसी नगरपालिका, पंचायती राज संस्थाओं या अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके संबंध में उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ग) उपभोक्ताओं के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकती है या उसमें छूट दे सकती है, तथापि, खण्ड (क) के मामले में इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि इस प्रकार की गयी कोई कमी या छूट वाणिज्यिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भी परिसर के संबंध में लागू नहीं होगी।"।

22. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस पैसे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह पैसे" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

23. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं.14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (viii-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(viii-क) "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी” से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का

अधिनियम सं.4), की धारा 88 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड अभिप्रेत है;";

(ii) खण्ड (xi) के विद्यमान उप-खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, "; और

(iii) अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "(xxxvi) "स्टाक एक्सचेंज" से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(xxxvii) "स्टाक एक्सचेंज" से" प्रतिस्थापित की जायेगी और सदैव से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

24. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 3 के पश्चात् और विद्यमान धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"3-क. अधिभार से प्रभार्य कतिपय लिखतें.- (1) स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्माण, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी भी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण या विकास के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगे, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, आधारभूत अवसंरचना प्रसुविधाओं जैसे रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल-निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य जन-उपयोगिताओं, और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के लिए, अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार, धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।"।

25. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची में संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उच्च न्यायालय के अधीन आदेश से कम्पनियों के समामेलन से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आदेश से" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

26. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 9 का संशोधन.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 की विद्यमान उप-धारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1क) राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों के रूप में ऐसे और इतने अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी जैसे और जितने वह ठीक और आवश्यक समझे:-

- (i) संयुक्त आबकारी आयुक्त;
- (ii) उप आबकारी आयुक्त;
- (iii) जिला आबकारी अधिकारी;
- (iv) सहायक आबकारी अधिकारी;
- (v) अन्य आबकारी अधिकारी।"।

27. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 57 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"57. विधि-विरुद्ध आयातित किसी आबकारी योग्य वस्तु को कब्जे में रखने के लिए शास्ति.- जो कोई भी विधि-युक्त प्राधिकार के बिना किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का, यह जानते हुए कि उसका विधि-विरुद्ध आयात, परिवहन, विनिर्माण, उसकी खेती या संग्रह किया गया है, या यह तथ्य जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क संदत्त नहीं किया गया है, अपने कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और बीस हजार रुपये या आबकारी शुल्क की हानि के पांच गुने तक, इनमें से जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परन्तु यदि अपराध का पता लगने के समय या उसके दौरान पायी गयी लिकर की मात्रा पचास बल्क लीटर से अधिक हो तो ऐसे अपराध का दोषी व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और बीस हजार रुपये के जुर्माने या आबकारी शुल्क की हानि के दस गुने, इनमें से जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।"

अध्याय 7

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

28. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 4-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4-घ ग्रीन कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

नियत की जाये, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

सारणी

क्रम सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की अधिकतम दर (रूपये में)
1	2	3	4
1	गैर-परिवहन यान (क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन सुपुर्दगी के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	750.00 1500.00
2	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन सुपुर्दगी के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	600.00

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के

अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

29. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 में धारा 4-ड का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की यथापूर्वोक्त संशोधित धारा 4-घ के पश्चात् और धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"4-ड. अधिभार का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उक्त धाराओं के अधीन अधिरोपित कर में, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं.) के प्रारंभ से, उक्त कर के 20 प्रतिशत से अनधिक, ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अधिभार द्वारा वृद्धि की जायेगी।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय अधिभार के अधिरोपण, संदाय, संगणना, वसूली, छूट और प्रतिदाय के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे इस अधिनियम के अधीन कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना, वसूली, छूट और प्रतिदाय पर लागू होते हैं।"।

अध्याय 8

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में संशोधन

30. 1954 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 में धारा 18 का जोड़ा जाना.- राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) की विद्यमान धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"18. संपरीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना.- निदेशक, उसके द्वारा संपरीक्षित लेखाओं की वार्षिक समेकित रिपोर्ट सरकार को भेजेगा जिसमें ऐसे मामले अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता है और सरकार, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 का खण्ड (26) 'व्यवहारी के कारबार का स्थान' को परिभाषित करता है। यह खण्ड संशोधित किये जाने के लिए प्रस्तावित है ताकि इसमें ऐसे किसी भी भाण्डागार, रेलवे स्टेशन, रेलवे माल यार्ड, पार्सल कार्यालय या किसी अन्य स्थान जहां व्यवहारियों द्वारा कारबार के अनुक्रम में या अन्यथा परिवहन के लिए माल रखा जाता है, को सम्मिलित किया जा सके।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 का खण्ड (44) 'संकर्म संविदा' को परिभाषित करता है। यह परिभाषा प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है ताकि इसे केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में दी गयी संकर्म संविदा की परिभाषा के समरूप बनाया जा सके।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उप-धारा (2) उपबंधित करती है कि कोई व्यवहारी, जिसका वार्षिक पण्यवर्त किसी वर्ष में पचास लाख रूपये से अधिक नहीं है, अपने पण्यवर्त पर कर के संदाय का विकल्प दे सकेगा। इस सुविधा को ऐसे व्यवहारी, जिसका वार्षिक पण्यवर्त साठ लाख रूपये तक है, तक बढ़ाये जाने की दृष्टि से यह धारा संशोधित की जानी प्रस्तावित है ताकि पचास लाख रूपये की उपर्युक्त रकम को साठ लाख रूपये द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 की उप-धारा (7) व्यवहारियों के कतिपय वर्ग को माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर कर का संदाय करने का विकल्प देती है। यह संप्रेक्षण किया गया है कि कुछ व्यवहारी जो इस उप-धारा के अधीन कर के संदाय का विकल्प देते हैं, माल की अतिरिक्त मात्रा के प्रदाय द्वारा बड़ा प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कर दायित्व का परिवर्जन होता है। माल की ऐसी अतिरिक्त मात्रा के कर दायित्व का अवधारण करने के लिए इस प्रभाव का परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है कि कोई व्यवहारी, जो इस उप-धारा के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता है,

उसके कर दायित्व की संगणना के प्रयोजन के लिए, इस उप-धारा के अन्तर्गत आने वाले माल के उसके द्वारा किये गये किसी विक्रय के बारे में माल की मात्रा के संबंध में कोई व्यापार बढ़ा या प्रोत्साहन अनुज्ञात नहीं करेगा।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 15 किसी व्यवहारी से रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिभूति दिये जाने की अपेक्षा करती है। धारा 38 के अधीन किसी व्यक्ति या किसी व्यवहारी से, जो निर्धारण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता है, विवादित रकम की वसूली रोकने की शर्त के रूप में प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित है। धारा 83 के अधीन, राजस्थान कर बोर्ड भी विवादित रकम के संदाय पर रोक लगाने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकता है यह समुचित समझा गया कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निगमों, कंपनियों को ऐसी प्रतिभूति दिये जाने से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि इन निकायों के स्वरूप, प्रास्थिति और स्वामित्व से ही इन निकायों से शोध्य रकमों के संदाय सुनिश्चित हो जाते हैं। तदनुसार, उपर्युक्त धाराएं संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं ताकि उपर्युक्त निकायों को प्रतिभूति दिये जाने से छूट दी जा सके।

वर्तमान में, राज्य में उपयोग किये जाने वाले समस्त पूंजीगत माल पर आगत कर मुजरा अनुज्ञात किया जाता है। अब यह प्रस्तावित है कि आगत कर मुजरा केवल छूट प्राप्त माल से भिन्न माल के विनिर्माण में उपयोग किये जाने वाले पूंजीगत माल पर ही अनुज्ञात किया जायेगा। तदनुसार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उप-धारा (1) का खण्ड (छ) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल के विक्रय पर कर संदत्त करने का दायित्व विक्रय के पश्चात्वर्ती स्तरों पर विद्यमान नहीं है। इसलिए, पश्चात्वर्ती स्तरों पर ऐसे माल के विक्रय पर आगत कर मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाता है। तदनुसार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उप-धारा (3) में एक नया खण्ड (ii)क) अन्तःस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित है।

कतिपय व्यापारों में माल का विक्रय किया जा रहा है और ऐसे विक्रयों पर कर क्रेता से वसूल किया जा रहा है किन्तु पश्चात्पूर्वी स्तर पर, क्रय करने वाले व्यवहारियों को विक्रेता मुजरा नोट या साहायिकी आदि के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है। ऐसे क्रय करने वाले व्यवहारी सहायता-प्राप्त दरों पर माल का विक्रय करने के पश्चात् पूर्ववर्ती स्तर पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18 में एक नयी उप-धारा (3क) अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राज्य सरकार पारदर्शी और दक्षतापूर्ण कर प्रशासन उपलब्ध करके व्यापार और उद्योग को सुकर बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। विवरणी को देरी से दिये जाने के लिए दांडिक उपबंध के कारण शास्ति अधिरोपित करने के लिए व्यवहारियों को नोटिस जारी किये जाते हैं। ऐसे नोटिस के जारी किये जाने से बचने के लिए, विहित समयावधि के पश्चात् विवरणी देने पर विलम्ब फीस के लिए उपबंध किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 21 की उप-धारा (i) में संशोधन प्रस्तावित किया गया है और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 58 हटायी जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25 कर के परिवर्जन और अपवंचन के मामले में निर्धारण का उपबंध करती है। इस धारा के उपबंधों के अधीन निर्धारण, मामला बनाने की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जा सकता। आम तौर पर अभिव्यक्ति 'मामला बनाने की तारीख' से विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे विवादों से बचने के लिए पूर्वोक्त धारा 25 में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके पूर्वोक्त अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है।

व्यवहारियों द्वारा विवरणियों के ई-फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 53 की उप-धारा (1) में अनंतिम प्रतिदाय का उपबंध करने के लिए एक परन्तुक जोड़ा गया था। अब आगत कर मुजरा के दक्षतापूर्ण और प्रभावी सत्यापन और समय पर प्रतिदाय किये जाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करने हेतु आज्ञापक उपबंध

बनाये जाने के लिए प्रस्तावित किये जा रहे हैं। अतः, पूर्वोक्त परन्तुक हटाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 53 की उप-धारा (4) व्यवहारी को प्रतिदाय पर संदेय ब्याज का उपबंध करती है। जहां कोई रकम प्रतिदेय पायी जाती है, वहां ऐसी रकम पर व्यवहारी को ब्याज संदेय है। ब्याज की प्रभार्यता तभी प्रोद्धभूत होगी जब रकम प्रतिदेय पायी जाये। इसलिए, प्रतिदाय पर उस तारीख से, जिसको वह देय हो जाता है, तीस दिन के पश्चात् ब्याज दिया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, उपर्युक्त उप-धारा (4) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 80, निकासी या अग्रेषण अभिकर्ताओं से, उस सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी से जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता में वे कारबार का संचालन करते हैं, प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। सरलीकरण करने और ऐसे अभिकर्ताओं की सुविधा के प्रयोजन के लिए यह उपबंध किया जाना प्रस्तावित है कि ऐसे अभिकर्ताओं के लिए उपर्युक्त अधिकारियों को अपने कारबार के स्थान के बारे में सूचना देना पर्याप्त होगा। तदनुसार, पूर्वोक्त धारा 80 का पार्श्व-शीर्ष और उप-धारा (1) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

दक्षतापूर्ण और पारदर्शी कर प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए 2009-10 के बजट भाषण में राजस्व आसूचना निदेशालय के बारे में घोषणा की गयी थी। वर्तमान में, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने के लिए कोई उपबंध नहीं है, इसलिए, पूर्वोक्त निदेशालय के अधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं किया जा सका था। ऐसी सामर्थ्यकारी शक्ति के लिए उपबंध करने के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम में एक नयी धारा 97ख अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957

केबल सेवा पर 26.3.1999 से विज्ञापन कर उद्गृहीत किया गया था और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर विज्ञापन कर 25.02.2008 से उद्गृहीत किया

गया था। केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के संबंध में किये गये कुछ निर्धारण आदेशों पर राजस्थान कर बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष प्रश्न उठाये गये थे। ऐसे ही एक मामले में, राजस्थान कर बोर्ड ने राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में कतिपय उपबंधों के अभाव को उपदर्शित करते हुए निर्धारण आदेश को निरस्त कर दिया था। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यथाउपदर्शित उपबंध करने और उक्त निर्धारण आदेश को विधिमान्य करने के लिए धारा 3, 5, 5ख और 9क को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है और एक विधिमान्यकारी उपबंध भी किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के परन्तुक का खण्ड (3) राज्य सरकार को, लोकहित में उपभोक्ताओं के कतिपय वर्गों द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को कम करने या उसमें छूट देने के लिए सशक्त करता है। यह भी प्रस्तावित है कि राज्य सरकार को, उपभोक्ताओं के कतिपय ऐसे अन्य वर्गों, जिनको विद्युत् शुल्क की कमी या छूट का फायदा समुचित मामलों में विस्तारित किया जा सके, विहित करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। इस परन्तुक के अधीन राज्य सरकार, केवल लोक मार्ग पर प्रकाश के प्रयोजनार्थ नगरपालिक बोर्ड, नगरपालिक परिषद्, पंचायत, पंचायत समिति और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में उपभुक्त ऊर्जा पर भूतलक्षी प्रभाव से विद्युत् शुल्क कम करने या उसमें छूट देने हेतु सशक्त है। यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार को समस्त नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए उक्त परन्तुक द्वारा और उसके अधीन विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के समस्त वर्गों द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर भूतलक्षी प्रभाव या भविष्यलक्षी प्रभाव, दोनों से विद्युत् शुल्क में कमी करने या उसमें छूट देने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। तदनुसार, उपर्युक्त परन्तुक यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (viii-क) और (xxxvi) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि क्रमशः राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के स्थान पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के प्रति निर्देश को अद्यतन किया जा सके और उस खण्ड का सही संख्यांकन किया जा सके।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के अधीन किया गया संपत्ति का अन्तरण स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है। कम्पनियों के समामेलन और पुनःसंरचना की स्कीमें प्रस्तुत करते समय विलयन करने, विलयन न करने जैसी भिन्न-भिन्न शब्दावली प्रयोग की जाती है और उक्त शब्दावली के आधार पर कम्पनियां स्टाम्प शुल्क का अपवंचन करने का प्रयास करती हैं। अधिनियम की धारा 2 और अनुसूची के अनुच्छेद 21 के उपबंधों की इस विसंगति को दूर करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उपर्युक्त धारा 394 के अधीन संपत्ति का किया गया कोई भी अन्तरण स्कीमों में प्रयुक्त शब्दावली के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य होगा।

राज्य में अवसंरचनात्मक विकास के लिए और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक नयी धारा 3-क जोड़ कर स्टाम्प शुल्क पर अधिभार उद्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित अधिभार, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

आबकारी विभाग में समादेश की एकता लाने के लिए और आबकारी अधिकारियों के पदाभिधानों के मानकीकरण हेतु धारा 9 की उप-धारा (1-क) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 57 के विद्यमान उपबंध में अन्य राज्यों से विधिविरुद्ध रूप से आयात के पश्चात् किसी भी आबकारी योग्य वस्तु को कब्जे में रखने के लिए, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किये जाने की शास्ति है। अन्य राज्यों से आबकारीयोग्य वस्तुओं की तस्करी के अपराध की कठोरता से यह शास्ति मेल नहीं खाती है और इसलिए यह प्रस्तावित है कि इस अपराध के लिए दण्ड ऐसी अवधि के कारावास का होना चाहिए जो छह मास के कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपये या आबकारी शुल्क की हानि का पांच गुना जो भी उच्चतर हो और यदि लिकर की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो तो न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास का दण्डादेश जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और बीस हजार रुपये या आबकारी शुल्क की हानि का दस गुना जुर्माना, जो भी अधिक हो, होना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन से इस अपराध पर रोक लगेगी।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

वायु प्रदूषण रोकने के लिए अवसंरचना के विकास और उसके संधारण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपकरणों का क्रय करने के लिए संसाधनों में अभिवृद्धि करने के लिए, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले पुराने यानों को हतोत्साहित करने के लिए 2006 में पुराने यानों पर उपकर अधिरोपित किया गया था। नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए और प्रदूषण की विश्वव्यापी समस्या को नियंत्रित करने की सामाजिक बाध्यता को पूरा करने के लिए और यातायात की भीड़-भाड़ और तेजी से बढ़ती यानों की संख्या, जिसमें नये यान भी सम्मिलित हैं, के परिणामस्वरूप होने वाले प्रदूषण को देखते हुए, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए इस ग्रीन कर का विस्तार गैर-परिवहन यानों के रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् परिवहन यानों के सही हालत में होने के समय सभी यानों के प्रति भी विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

अवसंरचना के विकास और उसके संधारण के लिए संसाधनों में अभिवृद्धि करने के लिए, लोक परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने और यातायात की भीड़-भाड़ और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मोटर यानों पर संदेय कर पर अधिभार अधिरोपित करना उचित समझा गया। तदनुसार, एक नयी धारा 4-ड अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954

तीसवें वित्त आयोग ने 2011-12 से 2014-15 तक राजस्थान राज्य के स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों) के लिए 5163.90 करोड़ रु. की कुल मंजूरी की सिफारिश की है जिसमें से 1789.50 करोड़ रु. निष्पादन आधारित सहायता के रूप में है। आयोग ने कतिपय शर्तें अधिकथित की हैं जिनका अनुपालन राज्य के निष्पादन आधारित सहायता के अंश को आहरित करने का पात्र होने के लिए किया जाना चाहिए।

उनमें से एक शर्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखना थी।

वर्तमान में, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने का कोई उपबंध नहीं है। ऐसे उपबंध किये जाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में एक नयी धारा 18 अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत महामहिम
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(25)वित्त/कर-अनु./2011 दिनांक: 09.3.2011

**प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान
विधानसभा, जयपुर।]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 8, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 21 की उप-धारा (1) प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है, राज्य सरकार को वह कालावधि, प्ररूप और रीति जिसमें किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत की जायेगी और विलंब फीस, जो विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने के लिए संदेय होगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 13, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 80 की उप-धारा (1) प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है, राज्य सरकार को वह समय, प्ररूप और रीति जिसमें निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा कारबार के स्थान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा ।

विधेयक का खण्ड 17, जो राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है, राज्य सरकार को वह समय और रीति, जिसमें मनोरंजन कर उद्गृहीत, संगणित और संदत्त किया जायेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा ।

विधेयक का खण्ड 21, जो राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के परन्तुक के खण्ड (3) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है, राज्य सरकार को उक्त परन्तुक के अधीन विद्युत शुल्क की कमी या छूट के प्रयोजन के लिए उपभोक्ताओं के वर्ग विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगी।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) से (25)

XX

XX

XX

(26) "कारबार का स्थान" से राजस्थान राज्य में का कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां कोई व्यवहारी माल का क्रय या विक्रय करता है, और,-

(क) कोई भी ऐसा भाण्डागार, गोदाम या स्थान, जहां व्यवहारी माल रखता है;

(ख) कोई भी ऐसा स्थान, जहां व्यवहारी माल को प्रसंस्कृत, उत्पादित या विनिर्मित करता है;

(ग) कोई भी ऐसा स्थान, जहां व्यवहारी अपने लेखे, रजिस्टर, और दस्तावेज रखता है;

(घ) कोई भी ऐसा यान या वाहक, जिसमें माल रखा जाता है या कारबार चलाया जाता है;

उसके अन्तर्गत है;

(27) से (43)

XX

XX

XX

(44) "संकर्म संविदा" से उसके निष्पादन में माल में की संपत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) अन्तरण को अंतर्वलित करने वाले संकर्मों और मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा अभिप्रेत है;

(45)

XX

XX

XX*

3. कर का भार.- (1)

XX

XX

XX

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में प्रगणित व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को

अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसा वार्षिक पण्यावर्त किसी वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हो।

(3) से (6) XX XX XX

4. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर.- (1) से (6) XX XX

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो राज्य में ऐसे माल का आयात करता है या विनिर्माण करता है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, अपने विकल्प पर इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उसके द्वारा संदेय कर के बदले में ऐसे माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर पूरी दर से कर, ऐसी रीति से संदत्त कर सकेगा जो विहित की जाये :

परन्तु जहां किसी व्यवहारी ने किसी भी माल का क्रय-

- (क) उपर्युक्त आयातकर्ता या विनिर्माता से ऐसे माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर कर का संदाय करके किया है; या
- (ख) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से किया है जहां ऐसे माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर कर राज्य में किसी पूर्वतर अवसर पर संदत्त कर दिया गया था,

क्रय करने वाला व्यवहारी इस बात का विचार किये बिना कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है या नहीं ऐसे माल का राज्य में पुनर्विक्रय करते समय, इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, क्रेता से क्रय के समय पर उसके द्वारा संदत्त कर की रकम ऐसी शर्तों और निबंधनों और ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर-भीतर जो विहित किया जाये, वसूल करने का हकदार होगा।

XX XX XX XX

15. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिभूति का दिया जाना.- (1) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी, किसी व्यवहारी को रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी की एक शर्त के रूप में या ऐसी मंजूरी के पश्चात् किसी

भी समय, उससे, विहित रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर प्रारंभिक प्रतिभूति या ऐसी पश्चात्पूर्ती अतिरिक्त प्रतिभूति, जो आवश्यक समझी जाये-

(क) उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम या अन्य राशि के यथासमय संदाय के लिए; और

(ख) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित लेखा पुस्तकों या किन्हीं भी अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए,

देने की अपेक्षा करेगा।

(2) से (8) XX XX XX

XX XX XX XX

18. आगत कर मुजरा.- (1) आगत कर मुजरा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर किये गये किसी भी कराधेय माल के क्रय के संबंध में धारा 3 की उप-धारा (2) या धारा 5 के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये-

(क) से (च) XX XX XX

(छ) पूंजीगत माल के रूप में राज्य में उपयोग किये जाने,-

के प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जायेगा,

तथापि, यदि क्रय किया गया माल भागतः इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और भागतः अन्यथा उपयोग में लिया जाता है तो आगत कर मुजरा उस सीमा तक, जिस तक उनका उपयोग इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, आनुपातिक रूप से अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) से (4) XX XX XX

XX XX XX XX

21. विवरणी का फाइल किया जाना.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और विवरणी ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो

विहित किया जाये, निर्धारण प्राधिकारी को या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को देगा।

(2) से (3) XX XX XX
XX XX XX XX

25. कर के परिवर्जन या अपवंचन के मामले में निर्धारण.- (1) जहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यवहारी ने कर का परिवर्जन या अपवंचन किया है या विधि के अनुसार कर संदत्त नहीं किया है या आगत कर का मुजरा गलत रूप से प्राप्त किया है, वहां वह व्यवहारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय और किसी भी कालावधि के लिए, ऐसे व्यवहारी के उस कराधेय पण्यावर्त का, जिस पर कर का परिवर्जन या अपवंचन किया गया है या विधि के अनुसार संदत्त नहीं किया गया है या गलत आगत कर मुजरा प्राप्त किया गया है, अवधारण करेगा और अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से कर निर्धारण करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित कर, आगत कर मुजरे और इस निमित्त अग्रिम रूप से संदत्त रकम, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात् व्यवहारी के द्वारा, मांग के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर संदेय होगी। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसी कालावधि को कम कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण, मामला बनाने की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, किसी भी मामले विशेष में, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इस समय-सीमा को छह मास से अनधिक की किसी और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वहां ऐसा नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी सुसंगत कर कालावधि के लिए निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा; और

पहले से किया गया निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किये गये निर्धारण के अध्यधीन होगा।

XX

XX

XX

XX

38. कर या मांग के संदाय के लिए दायित्व.- (1) से (3) XX XX

(4) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति ने किसी निर्धारण प्राधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को कोई अपील फाइल की हो वहां उक्त अपील प्राधिकारी, ऐसी अपील को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् और अपीलार्थी और निर्धारण प्राधिकारी या अधिकारी या उसके किसी भी प्रतिनिधि की सुनवाई करने के पश्चात् कर या मांग की विवादग्रस्त रकम या उसके किसी भाग की वसूली को ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के लिए या अपील का निपटारा किये जाने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन रोक सकेगा कि उक्त निर्धारिती या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये। तथापि, अपील प्राधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रोक को उक्त छह मास की कालावधि के पश्चात् भी छह मास से अनधिक की और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा:

परन्तु जहां रोक के लिए किसी आवेदन को उसके फाईल किये जाने से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं निपटाया जाता और देरी आवेदक के कारण नहीं हुई हो तो उसे इस शर्त के अध्यधीन स्वीकार किया हुआ समझा जायेगा कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये।

(5) से (7)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

53. प्रतिदाय.- (1) जहां कोई भी रकम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यवहारी को प्रतिदेय हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी रकम के निक्षेप के तथ्य का सम्यक् रूप से सत्यापन

कर लेने के पश्चात्, ऐसे व्यवहारी को प्रतिदत्त की जाने वाली रकम का, या तो नकद संदाय करके, या किसी भी कर कालावधि के संबंध में देय कर या अन्य राशि के प्रति समायोजन करके विहित रीति से प्रतिदाय करेगा:

परन्तु ऐसे व्यवहारी के मामले में जो इलैक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी फाईल करता है और धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण के लिए विकल्प भी देता है, तो उसे प्रतिदेय रकम के पचास प्रतिशत की सीमा तक अनंतिम रूप से प्रतिदाय, प्रतिदेय रकम की जमा के पश्चात्तर्वी सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा।

(2) से (3) XX XX XX

(4) इस धारा के अधीन प्रतिदाय रकम पर उसके जमा होने की तारीख से ऐसी दर से ब्याज लगेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

(5) से (6) XX XX XX

XX XX XX XX

58. विवरण देने में विफल रहने के लिए शास्ति.- जहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी भी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई भी व्यवहारी अनुज्ञात समय के भीतर-भीतर विहित विवरणी देने में, युक्तियुक्त कारण के बिना, विफल हो गया है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यवहारी शास्ति के रूप में,-

- (i) ऐसे मामले में, जिसमें व्यवहारी से धारा 20 के अधीन प्रति मास कर संदत्त करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे व्यतिक्रम के प्रथम पन्द्रह दिवस के लिए एक सौ रूपये प्रतिदिन और तत्पश्चात् ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपये के बराबर, किन्तु कुल मिलाकर इस प्रकार निर्धारित कर के तीस प्रतिशत से अनधिक राशि; और
- (ii) समस्त अन्य मामलों में, ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच हजार रूपये

की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए पचास रूपये के बराबर राशि,-

संदत्त करेगा।

XX XX XX XX

80. कतिपय अभिकर्ताओं का प्रमाणपत्र प्राप्त करने और सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व.- (1) ऐसा कोई निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता, जो अपने कारबार के अनुक्रम में, कर के दायी माल के किसी परेषण की बुकिंग या परिदान लेने के लिए अपनी सेवाएं देता है या कर के दायी माल से संबंधित हक के किसी दस्तावेज को संभालता है, ऐसे सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी से, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता में वह अपने कारबार का संचालन करता है, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, जो विहित की जायें।

(2) से (3) XX XX XX

XX XX XX XX

83. कर बोर्ड को अपील.- (1) से (6) XX XX XX

(7) कर बोर्ड, उसके समक्ष किसी अपील के लम्बित रहने के दौरान, किसी भी कार्यवाही पर रोक नहीं लगायेगा किन्तु वह, व्यवहारी की ओर से लिखित किसी आवेदन पर, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शर्त पर कर की विवादग्रस्त रकम या कोई अन्य राशि या उसके किसी भाग की वसूली पर रोक लगा सकेगा; और अन्ततः देय पायी गयी रकम, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी तारीख से ब्याज के अध्यक्षीन होगी, जिसको वह प्रथमतः देय हुई।

(8) से (10) XX XX XX

XX XX XX XX

2. राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3. परिभाषाएं.- जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(1) से (4) XX XX XX

(5) "मनोरंजन" में ऐसी कोई भी प्रदर्शनी, प्रदर्शन, करतब, आमोदप्रमोद, क्रीड़ा या खेल-कूद और केबल सेवा सम्मिलित है, जिसमें व्यक्तियों को शुल्क संदाय करने पर प्रवेश दिया जाता है;

(6) "मनोरंजन-कर" से वह कर अभिप्रेत है जो धारा 4 के अधीन उद्गृहीत और वसूल किया जाये और इसमें धारा 6क के अधीन संदेय अतिरिक्त कर सम्मिलित है;

(6क) से (13) XX XX XX
XX XX XX XX

5. कर के संदाय की रीति.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन मनोरंजन कर, संदाय किये जाने पर प्रविष्ट किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में उद्गृहीत किया जायेगा और प्रविष्ट व्यक्तियों की संख्या के अनुसार संगणित और संदत्त किया जायेगा।

(2) मनोरंजन कर स्वत्वधारी द्वारा देय और उससे वसूलीय होगा।

(3) स्वत्वधारी मनोरंजन स्थल पर प्रवेश के लिए संदायों से संबंधित ऐसी विवरणियां ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर भेजेगा जो विहित की जायें।

XX XX XX XX

5ख. कर-निर्धारण.- (1) XX XX XX

(2) यदि धारा 5 की उप-धारा (3) और धारा 5क की उप-धारा (1) के अधीन स्वत्वधारी द्वारा, विहित कालावधि के भीतर कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है या उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत होती है, तो विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, धारा 4, 4क और 6क के समस्त या किन्हीं उपबंधों के अधीन देय कर अवधारित करेगा और अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से स्वत्वधारी पर कर निर्धारण करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्यवाई करने के पूर्व स्वत्वधारी को यह साबित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी सही और पूर्ण है या उसकी ओर से कोई विवरणी देय नहीं थी।

(3) XX XX XX
XX XX XX XX

9क. कर या शास्ति का संदाय करने में असफल रहने पर ब्याज.- (क) यदि धारा 4, 4क या 6क के अधीन संदेय किसी कर की रकम धारा 5 या 5क में उपबंधित रीति से, अनुज्ञात कालावधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है; या

XX XX XX XX

3. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3. उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत्-शुल्क.- किसी उपभोक्ता द्वारा या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा पर दस पैसे यूनिट से अनधिक ऐसी दर से जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाये, संगणित शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विद्युत् शुल्क' कहा गया है) राज्य सरकार के लिए उद्गृहीत और उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु-

(1) से (2) XX XX XX

(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबन्धनों, शर्तों और निर्बन्धनों पर, जो अधिसूचना में अधिकिथत किये जाये-

(क) (i) उपभोक्ता द्वारा किसी भी उद्योग में माल के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में;

(i-क) अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा;

- (ii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 35) में यथा परिभाषित किसी भी खान द्वारा या उसके संबंध में-

उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

- (ख) लोक मार्गों पर प्रकाश के प्रयोजनार्थ या उसके सम्बन्ध में किसी नगर पालिका, बोर्ड या परिषद् अथवा पंचायत या पंचायत समिति अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके सम्बन्ध में उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को, चाहे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से,

कम कर सकती है या उसमें छूट दे सकती है;

तथापि खंड (क) के मामले में इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार की गई कोई कमी या छूट वाणिज्यिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भी परिसर के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

XX

XX

XX

XX

3ग. नगरीय उपकर का उद्ग्रहण.- (1) किसी उपभोक्ता द्वारा या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से "नगरीय उपकर" के नाम से उपकर राज्य सरकार के लिए उद्ग्रहीत और उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई उपकर ऐसी ऊर्जा पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा,-

- (क) जिसका भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाये;
- (ख) जिसका भारत सरकार द्वारा किसी भी रेलवे के संनिर्माण, रख-रखाव या प्रचालन में उपभोग किया जाये;
- (ग) जिसका किसी खेतिहर द्वारा कृषि कार्यों में उपभोग किया जाये;
- (घ) जिसका राज्य में के नगरपालिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में उपभोग किया जाये;

- (ड) जिसका ऐसे नगरपालिक क्षेत्र में के घरेलू प्रवर्ग में उपभोग किया जाये, जहां उपभोग 100 यूनिट प्रति मास से अधिक न हो;
- (च) जिसका निम्नलिखित वर्गों की संस्थाओं द्वारा उपभोग किया जाये, अर्थात् :-
- (i) अस्पताल या औषधालय जो निजी लाभ के लिए नहीं चलाये जाते,
 - (ii) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं जो निजी लाभ के लिए नहीं चलायी जातीं,
 - (iii) पूजा के सार्वजनिक स्थान,
- इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवनों या भवनों के भागों में उपभुक्त ऊर्जा पर इस उप-खण्ड के अधीन छूट लागू नहीं होगी;
- (छ) जिसका उत्पादन 100 वोल्ट से अनधिक के वोल्टेज पर किया जाता हो।

(2) से (3) XX XX XX

XX XX XX XX

4. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-

- (i) से (viii) XX XX XX
- (viii क) "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी" से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22) की धारा 90 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ix) से (x) XX XX XX
- (xi) "हस्तान्तरण-पत्र" के अन्तर्गत,-
 - (i) कोई विक्रय हस्तान्तरण पत्र,

- (ii) प्रत्येक लिखत,
- (iii) किसी भी सिविल न्यायालय की प्रत्येक डिक्री या अन्तिम आदेश,
- (iv) कंपनियों के समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश,
- (v) वायु अधिकारों का विक्रय,
- (vi) सतह के नीचे के अधिकारों से संबंधित विक्रय/सहमति है,

जिसके द्वारा किसी संपत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, या किसी भी सम्पदा या किसी भी संपत्ति में का हित, किसी भी अन्य व्यक्ति को, जो जीवित हो, अन्तरित या उसमें निहित किया जाये और जिसके लिए अनुसूची द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो;

(xii) से (xxxvi) XX XX XX

(xxxvi) 'स्टाक एक्सचेंज' से प्रतिभूतियों के क्रय, विक्रय या संव्यवहार के कारबार में सहायता, उसके विनियमन या नियंत्रित के प्रयोजन के लिए गठित व्यष्टियों का कोई निकाय चाहे, निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है।

XX XX XX XX

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	1	2
1. से 20.	XX	XX
21. धारा 2 (xi) द्वारा यथा परिभाषित हस्तान्तरण-पत्र,-		XX
(i) यदि स्थावर सम्पत्ति से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का ग्यारह हो।		प्रतिशत
(ii) यदि जंगम सम्पत्ति से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का आधा हो।		(0.5) प्रतिशत

(iii) यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 संपत्ति के बाजार मूल्य का दस (1956 का अधिनियम सं. 1) की प्रतिशत धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के अधीन आदेश से कम्पनियों के समामेलन से संबंधित हो।

छूटें

भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं.14) के अधीन की गयी प्रविष्टि द्वारा प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन।

स्पष्टीकरण.- (i) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय कर के करार या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामें या हस्तान्तरण-पत्र, या पट्टे यथा आबण्टन-पत्र, पट्टा, अनुज्ञप्ति आदि, के अनुक्रम में निष्पादित किसी भी अन्य लिखत को ऐसी लिखत के निष्पादन के पूर्व, निष्पादन के समय या उसके पश्चात् ऐसी संपत्ति के कब्जे के अंतरण के मामले में हस्तान्तरण-पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा:

परन्तु धारा 51 के उपबन्ध ऐसे करार या मुख्तारनामें या लिखतों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी हस्तान्तरण-पत्र को लागू होते हैं;

परन्तु यह और कि ऐसे करार या मुख्तारनामों या लिखत पर पहले ही संदत्त स्टाम्प शुल्क को ऐसी लिखत के अनुसरण में, किसी हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे के पश्चात्त्वर्ती निष्पादन के समय उस हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे पर प्राभार्य शुल्क की रकम के प्रतिसमायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- (ii) खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति बाजार-मूल्य हस्तान्तरिती कम्पनी द्वारा या तो विनिमय के रूप में या अन्यथा निर्गमित या आवंटित शेयरों के कुल मूल्य की रकम और ऐसे आमेलन के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम यदि कोई हो, को समझा जायेगा।

22. से 58.	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX
4. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2) से लिये गये उद्धरण			
XX	XX	XX	XX

9. आयुक्त और आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति.- (1) XX
XX

(1क) राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों के रूप में ऐसे और इतने अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी जैसे और जितने वह ठीक और आवश्यक समझे:-

- (i) प्रवर्तन निदेशक, विशेष प्रवर्तन निदेशक, अपर प्रवर्तन निदेशक, संयुक्त प्रवर्तन निदेशक, क्षेत्रीय प्रवर्तन निदेशक, उप प्रवर्तन निदेशक और सहायक प्रवर्तन निदेशक;
- (ii) आबकारी उप-आयुक्त;
- (iii) जिला आबकारी अधिकारी;
- (iv) अन्य अवर अधिकारी ।

(1ख) से (3) XX XX XX
 XX XX XX XX

57. विधि-विरुद्ध आयातित किसी आबकारी योग्य वस्तु को कब्जे में रखने के लिए शास्ति.- जो कोई भी विधि-युक्त प्राधिकार के बिना किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का किसी भी मात्रा में यह जानते हुए कि उसका विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण या उसकी खेती या संग्रह किया गया है, या यह जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क संदत्त नहीं किया गया है, अपने कब्जे में रखता है, उसे तीन मास तक की अवधि के कारावास से या एक हजार रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX

6. राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.- (1) अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत दरों पर जो उक्त सरणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अधिक न हों, "ग्रीन कर" के नाम से उपकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा।

सारणी

क्र.	यान का वर्ग और आयु	उपकर की अधिकतम
------	--------------------	----------------

सं.		दर (रूपयों में)
1	2	3
1.	मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ऐसे गैर-परिवहन यान जो उनकी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं:- क. दुपहिया ख. दुपहिया से भिन्न	750.00 1500.00
2.	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अनुसार सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ऐसे परिवहन यान जो उनकी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं।	600.00 प्रति वर्ष

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

XX

XX

XX

XX

Confidential

Bill No. 6 of 2011

(Authorized English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2011
(to be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Excise Act, 1950, the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 and the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2011-12 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows: -

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2011.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 7, 22, 24, 28 and 29 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT,
2003

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing sub-clause (d) and before the existing explanation of clause (26), the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

“(e) any warehouse, railway station, railway goods yard, parcel office, or any other place where goods for transportation in the course of business or otherwise are kept by dealers;”; and

(ii) for the existing clause (44), the following clause shall be substituted, namely:-

“(44) “works contract” means a contract for carrying out any work which includes assembling, construction, building, altering, manufacturing, processing, fabricating, erection, installation, fitting out, improvement, repair or commissioning of any movable or immovable property;”.

4. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (2) of section 3 of the principal Act, for the existing expression “rupees fifty lacs”, the expression “rupees sixty lacs” shall be substituted.

5. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (7) of section 4 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark “:” shall be substituted and after the existing proviso, so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided further that a dealer who opts payment of tax under this sub-section shall not allow any trade discount or incentive in terms of quantity of goods in relation to any sale of goods covered under this sub-section, effected by him, for the purpose of calculating his tax liability.”.

6. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (1) of section 15 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.”.

7. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 18 of the principal Act,-

(i) for the existing clause (g) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

“(g) being used in the State as capital goods in manufacture of goods other than exempted goods,”;

(ii) after the existing clause (ii) and before the existing clause (iii) of sub-section (3), the following shall be inserted, namely:-

“(iia) of goods taxable at first point in the series of sales, from a registered dealer who pays tax at the first point;

Explanation.- For the purpose of this clause, "first point in the series of sales" means the first sale made by a registered dealer in the State; or”; and

(iii) after the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(3A) Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, the input tax allowable under this section in respect of such goods shall not exceed the output tax payable on such goods.”.

8. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (1) of section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and

manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.”.

9. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing sub-section (4) of section 25 of the principal Act, the following explanation shall be inserted, namely:-

“**Explanation.-** For the purpose of this section the expression “date of making out the case” means the date on which notice in pursuance of this section is issued for the first time to the dealer.”.

10. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (4) of section 38 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark “:” shall be substituted and after the existing proviso, so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided further that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.”.

11. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 53 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), the existing proviso shall be deleted; and

(ii) for the existing sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) An amount refundable under this Act shall be refunded within thirty days from the date on which it becomes due and if such amount is not refunded within the aforesaid period of thirty days, it shall carry interest with effect from the date of expiry of the aforesaid period up to the date of payment, at such rate as may be notified by the State Government.”.

12. Deletion of section 58, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- The existing section 58 of the principal Act shall be deleted.

13. Amendment of section 80, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 80 of the principal Act,-

(i) the existing expression “obtain certificate and”, appearing in the marginal heading, shall be deleted; and

(ii) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) A clearing or forwarding agent who in the course of his business renders his service for booking or taking delivery of any consignment of goods liable to tax or handles any document of title relating to goods liable to tax, shall furnish information about his place of business to the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, in whose territorial jurisdiction he conducts his business, within such time, in such form and in such manner as may be prescribed.”.

14. Amendment of section 83, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (7) of section 83 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.”.

15. Insertion of new section 97B, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing section 97A and before the existing section 98 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“97B. Delegation of powers.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, any power exercisable by an assessing authority under this Act may be exercised by such officer of the State Government, as may be specified in the notification.”.

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND
ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

16. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In section 3 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (5), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 25.2.2008, namely:-

“(5) “entertainment” includes,-

- (i) any exhibition (show), performance, amusement, game or sport to which persons are admitted for payment;
- (ii) providing cable service to a subscriber;
- (iii) providing direct to home broadcasting service;” and

(ii) in clause (6), after the existing expression “section 4” and before the existing expression “and includes”, the expression “, 4AA and 4AAA” shall be inserted; and the expression “4AA” shall be deemed to have been inserted with effect from 26.3.1999 and the expression “4AAA” shall be deemed to have been inserted with effect from 25.2.2008.

17. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 5 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 26.3.1999, namely:-

“**5. Manner of payment of tax.-**(1) Subject to other provisions of this Act, the entertainment tax shall be levied, calculated, and paid in such manner and within such time as may be prescribed.

(2) The entertainment tax shall be due and recoverable from the proprietor.

(3) The proprietor shall submit such returns, to such authority, in such manner and within such period as may be prescribed.”.

18. Amendment of section 5B, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In sub-section (2) of section 5B of the principal Act, after the existing expression “sections 4, 4-A” and before the existing expression “and 6-A”, the expression “, 4AA, 4AAA” shall be inserted; and the expression “4AA” shall be deemed to have been inserted with effect from 26.3.1999 and the expression “4AAA” shall be deemed to have been inserted with effect from 25.2.2008.

19. Amendment of section 9-A, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In clause (a) of section 9-A of the principal Act, after the existing expression “section 4, 4-A” and before the existing expression “or 6-A”, the expression “,4AA, 4AAA” shall be inserted; and the expression “4AA” shall be deemed to have been inserted with effect from 26.3.1999 and the expression “4AAA” shall be deemed to have been inserted with effect from 25.2.2008.

20. Validation of certain things, actions, orders etc. - Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, Board or other Authority, all things done, actions taken, or orders made before the date of commencement of this Act, shall, in so far as they are in conformity with the provisions of the principal Act as amended by this Act, be deemed to have been done, or taken, or made under the provisions of the principal Act as if the provisions of principal Act as amended by this Act were in force at the time such things were done, actions taken or orders made.

CHAPTER IV AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

21. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- For the existing proviso (3) of section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(3) Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to do so, it may by notification in the Official Gazette and on such terms, conditions and restrictions as may be laid down in the notification, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively,-

(a) the electricity duty on the energy consumed-

- (i) by a consumer in any industry in the manufacture, production, processing or repair of goods;
 - (ii) by a person generating energy for his own use or consumption;
 - (iii) by or in respect of any mine as defined in the Mines Act, 1952 (Central Act No. 35 of 1952);
- (b) the electricity duty on the energy consumed by or in respect of any Municipality or Panchayati Raj Institutions or other local authority, for the purpose or in respect of public street lighting;
- (c) the electricity duty on the energy consumed by such other class of consumers as may be prescribed by the State Government,

subject, however, in the case of clause (a), to the condition that any reduction or remission so made shall not be applicable to energy consumed in respect of any premises used for commercial or residential purposes.”.

22. Amendment of section 3C, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- In sub-section (1) of section 3C of the principal Act, for the existing expression “ten paise”, the expression “fifteen paise” shall be substituted.

CHAPTER V AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

23. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing clause (viii-A), the following shall be substituted, namely:-

“(viii-A) “Chief Controlling Revenue Authority” means Rajasthan Tax Board constituted under section 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003); ”;

- (ii) for the existing sub-clause (iv) of clause (xi), the following shall be substituted, namely:-

“(iv) every order made under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956),”;
and

(iii) for the existing expression “(xxxvi) 'stock exchange' means”, appearing at the end, the expression “(xxxvii) 'stock exchange' means” shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted.

24. Insertion of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 3 and before the existing section 4 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely.-

“3-A. Certain instruments chargeable with surcharge.- (1) All instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property, and agreement or memorandum of an agreement relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, any immovable property, chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of the development of basic infrastructure facilities such as rail or road transportation system, communication system, power distribution system, sewerage system, drainage system or any other such public utilities serving any area of the State and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall so far as may be apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.”.

25. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In clause (iii) of the Article 21 of the Schedule of the principal Act, for the existing expression “amalgamation of the companies by the order of the High Court”, the expression “the order” shall be substituted.

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

26. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- For the existing sub-section (1A) of section 9 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. 2 of 1950), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1A) The State Government may also appoint such and so many other persons as it thinks fit and necessary to be :-

- (i) Joint Excise Commissioner;
- (ii) Deputy Excise Commissioner;
- (iii) District Excise Officer;
- (iv) Assistant Excise Officer;
- (v) Other Excise Officers.”.

27. Amendment of section 57, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- For the existing section 57 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

“**57. Penalty for possession of excisable article unlawfully imported.-** Whoever, without lawful authority, has in his possession any excisable article, knowing the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, cultivated or collected or knowing the fact that prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine of twenty thousand rupees or five times of the loss of excise duty, which ever is higher:

Provided that if the quantity of liquor found at the time or in the course of detection of the offence exceeds fifty bulk litres, the person guilty for such offence shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine of twenty thousand rupees or ten times of the loss of excise duty, which ever is higher.”.

CHAPTER VII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES
TAXATION ACT, 1951

28. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951

(Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“4-D. Levy of Green Tax.- (1) There shall be levied and collected a cess called "green tax", in addition to the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such vehicles suitable for use on road as specified in column (2), at such time as specified in column (3), of the table below at such rates, not exceeding the maximum rates specified in column (4) of the table, as may be fixed by the State Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

TABLE

S. No.	Class of the Vehicle	Time	Maximum rate of cess (in Rupees)
1	2	3	4
1	Non-transport vehicle (a) two wheelers (b) other than two wheelers	at the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	750.00 1500.00
2	Transport vehicle	at the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	600.00

(2) The provisions of this Act and the rules made thereunder excluding those relating to refund of tax shall, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1), as they apply to the

imposition, payment, computation and recovery of tax payable under this Act.”.

29. Insertion of section 4-E, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- After section 4-D, amended as aforesaid, and before section 5 of the principal Act, following new section shall be inserted, namely:-

“**4-E. Levy of Surcharge.-** (1) Notwithstanding anything contained in sections 4, 4-B and 4-C of the Act, the tax imposed by the said sections shall with effect from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2011 (Act No. ... of 2011) be increased by a surcharge at such rates, not exceeding 20% of the said tax, as may be specified by the State Government by the notification in the Official Gazette.

(2) The provisions of this Act and the rules made thereunder, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation, recovery, exemption and refund of the surcharge payable under sub-section (1), as they apply to the imposition, payment, computation, recovery, exemption and refund of tax payable under this Act.”.

CHAPTER VIII AMENDMENT IN THE RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT ACT, 1954

30. Addition of section 18, Rajasthan Act No. 28 of 1954.- after the existing section 17 of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954), the following new section shall be added, namely:-

“**18. Laying of audit report.-** The Director shall send to the Government annually a consolidated report of the accounts audited by him containing such matters which he intends to bring to their notice and the Government shall, after the receipt of the same, cause it to be laid before the State Legislature. ”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Clause (26) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 defines 'place of business of a dealer'. The clause is proposed to be amended so as to include in it any warehouse, railway station, railway goods yard, parcel office, or any other place where goods for transportation in the course of business or otherwise are kept by dealers.

Clause (44) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 defines 'works contract'. The definition is proposed to be substituted so as to bring it in line with the definition of works contract given in Central Sales Tax Act, 1956.

Sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides that a dealer whose annual turnover does not exceed rupees fifty lacs in a year may opt for payment of tax on his turnover. With a view to extend the facility to the dealer whose annual turnover is up to sixty lacs, the section is proposed to be amended so as to replace the aforesaid amount of fifty lacs by the amount of sixty lacs.

Sub-section (7) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 gives option to certain class of dealers to pay tax on the maximum retail price of the goods. It has been observed that some dealers who opt for payment of tax under this sub-section provide discount by way of supply of additional quantity of goods, which results in avoidance of tax liability. In order to determine tax liability of such additional quantity of goods, it is proposed to add a proviso to the effect that a dealer who opts for payment of tax under this sub-section shall not allow any trade discount or incentive in terms of quantity of goods in relation to any sale of goods covered under this sub-section, effected by him, for the purpose of calculating his tax liability.

Section 15 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 requires a dealer to furnish security for registration. Under section 38 a person or a dealer who seeks to appeal against the order of the assessing authority is required to furnish security as a condition of stay of the recovery of the disputed amount. Rajasthan Tax Board may also require security under section 83 for payment of disputed amount as a condition of grant of stay. It is considered appropriate that the Departments of the Central Government and the State Government and a public sector undertakings, corporations,

companies owned or controlled by the Central Government or the State Government should be exempted from furnishing such securities as by the very nature, status and ownership of these entities payments of amounts due from these entities is ensured. Accordingly, the aforesaid sections are proposed to be amended so as to exempt aforesaid entities from furnishing security.

At present input tax credit is allowed on all the capital goods used in the State. Now it is proposed that input tax credit shall be allowed only on the capital goods used in manufacture of goods other than exempted goods. Accordingly, clause (g) of sub-section (1) of section 18 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 is proposed to be amended.

Liability to pay tax on sale of goods taxable at first point does not exist at subsequent stages of sale. Therefore, input tax credit on sale of such goods at subsequent stages is not allowed. Accordingly a new clause (iia) is proposed to be inserted in sub-section (3) of section 18 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

In certain trades goods are being sold and tax on such sales is being recovered from the purchaser, but at later stage seller provides incentive to the purchasing dealer in the form of credit notes or subsidy etc. Such purchasing dealers after selling goods at subsidized rates claim refund of tax paid at earlier stage. In order to check this tendency a new sub-section (3A) is proposed to be inserted in section 18 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

The State Government is committed to facilitate the trade and industry by providing transparent and efficient tax administration. Because of penal provision for late filing of return, notices are issued to the dealers for imposition of penalty. In order to avoid the issuance of such notices, provision for late fee on furnishing of return after the prescribed time period is proposed to be made. Accordingly, amendment has been proposed in sub-section (1) of section 21 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and section 58 of the aforesaid Act is proposed to be deleted.

Section 25 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for assessment in case of avoidance and evasion of tax. Assessment under the provisions of this section cannot be made after the expiry of a period of six months from the date of making out the case. The term 'the date of making out the case' generally gives rise to disputes. In order to avoid such disputes aforesaid term is proposed to be defined by inserting an explanation in aforesaid section 25.

In order to promote e-filing of returns by the dealers, a proviso was added in sub-section (1) of section 53 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 to provide provisional refund. Now mandatory provisions for submission of return electronically are being proposed to be made for efficient and effective verification of input tax credit and timely grant of refund. In this backdrop, the existing provision is not required. Hence, the aforesaid proviso is proposed to be deleted.

Sub-section (4) of section 53 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for interest payable on refund to a dealer. Where an amount is found refundable interest on such amount is payable to the dealer. The chargeability of interest accrues only when the amount is found refundable. Therefore, it is proposed to allow interest on refund after thirty days from the date it becomes due. Accordingly, aforesaid sub-section (4) is proposed to be amended.

Section 80 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 requires clearing or forwarding agents to obtain a certificate from the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer in whose territorial jurisdiction they conduct business. For the purpose of simplification and in order to facilitate such agents, it is proposed to provide that it would be sufficient for such agents to furnish information about his place of business to the aforesaid officers. Accordingly, marginal heading and sub-section (1) of aforesaid section 80 is proposed to be amended.

To provide efficient and transparent tax administration, Directorate of Revenue Intelligence was announced in Budget Speech of 2009-10. At present there is no provision enabling the State Government to delegate powers to the officers under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, therefore, the officers of the aforesaid Directorate could not be empowered to exercise the powers under the aforesaid Act. In order to provide for such enabling power a new section 97B is proposed to be inserted in the aforesaid Act.

THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

Entertainment tax on cable service was levied with effect from 26.3.1999 and Entertainment tax on direct to home broadcasting service was levied with effect from 25.2.2008. Some assessment orders made in respect of cable service and direct to home broadcasting service were questioned before Rajasthan Tax Board and other authorities. In one such matter the

Rajasthan Tax Board, while indicating want of certain provisions in the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, struck down the assessment order. In order to make provisions as indicated by the Rajasthan Tax Board and to validate the said assessment order, sections 3, 5, 5B and 9A are proposed to be amended with retrospective effect and a validating provision is also proposed to be made.

THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

Proviso (3) of section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 empowers the State Government to reduce or remit, in the public interest, electricity duty on the energy consumed by certain classes of consumers. It is also proposed that the State Government should be empowered to prescribe certain other classes of consumers to whom benefit of reduction and remission of electricity may be extended in appropriate cases. Under this proviso, State Government is empowered to reduce or remit electricity duty with retrospective effect only on the energy consumed by or in respect of Municipal Board, Municipal Council, Panchayat, Panchayat Samiti and other local authorities for the purpose of public street lighting. It is proposed that the State Government should be empowered to reduce or remit electricity duty both with retrospective effect or prospective effect on the energy consumed by all classes of consumers specified by and under the said proviso including all Municipalities and Panchayati Raj Institutions. Accordingly, aforesaid proviso is proposed to be amended suitably.

For the purpose of providing basic amenities like street lighting, sanitation, maintenance of roads and energy conservation in municipal areas, an urban cess at the rate of ten paise per unit was levied on energy consumed in municipal areas. The revenue generated by urban cess has helped the municipal bodies in providing aforesaid basic amenities to the people in urban area. However, it is felt that the revenue generated on this account is not sufficient for the aforesaid purposes therefore, it is proposed that the aforesaid rate of ten paise per unit be enhanced to be fifteen paise per unit.

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Clauses (viii-A) and (xxxvi) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998, is proposed to be amended so as to update reference to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 instead of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 and to correct numbering of the clause respectively.

Transfer of property effected by the orders under section 394 of the Companies Act, 1956, are chargeable to stamp duty. While submitting schemes of amalgamation and reconstruction of companies different terminology like merger, de-merger, etc. are used and on the basis of the said terminology companies try to evade stamp duty. To remove this anomaly, provisions of section 2 and Article 21 of the Schedule to the Act are proposed to be amended so as to clarify that any transfer of property effected by the orders under aforesaid section 394 shall be chargeable to stamp duty under provisions of this Act notwithstanding the terminology used in the schemes.

For infrastructural developments in the State and also for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions a surcharge on stamp duty is proposed to be levied by adding new section 3-A. The proposed surcharge shall not exceed 10% of the stamp duty chargeable under section 3 read with the Schedule to the Act.

THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

In order to bring unity of command in the Excise Department and to standardize the designations of excise officers it is proposed to amend sub-section (1A) of section 9.

The penalty in the existing provision of section 57 of the Rajasthan Excise Act, 1950, for possessing any excisable article, after unlawfully importing it from other States, is imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. This penalty does not match the severity of the offence of smuggling of excisable articles from other States and it is therefore proposed that the punishment for this offence should be imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to 3 years and with fine of twenty thousand rupees or five times of the loss of excise duty, whichever is higher and if the quantity of liquor exceeds 50 bulk litres then the punishment should be minimum sentence of imprisonment for three years extendable up to five years and with fine of twenty thousand rupees or ten times of the loss of excise duty which ever is higher. The proposed amendment will deter this offence.

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

A cess was imposed in 2006 on old vehicles with a view to augment resources for development and maintenance of infrastructure and purchase

of equipments for checking air pollution as well as to discourage pollution prone old vehicles. Keeping in view the commitment towards welfare of citizens and fulfillment of the social obligation to curb worldwide problem of pollution and looking at the traffic congestion and resultant pollution caused by rapidly increasing number of vehicles, which includes new vehicles also, it is proposed that the purview of this green tax for above purpose be extended to all vehicles at the time of registration or assignment of non-transport vehicles and at the time of registration or assignment and thereafter at the time of fitness of transport vehicles as well. Accordingly section 4-D is proposed to be amended.

For the purpose of augmenting resources for development and maintenance of infrastructure, enhancing public transport facilities and controlling traffic congestion and accidents, it is considered appropriate to impose a surcharge on tax payable on motor vehicles. Accordingly a new section 4-E is proposed to be inserted.

THE RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT ACT, 1954

Thirteenth Finance Commission has, for the period from 2011-12 to 2014-15, recommended a total grant of Rs. 5163.90 crore for the Local Bodies (PRIs and ULBs) of Rajasthan State out of which Rs. 1789.50 crores is in the form of Performance Grant. The Commission has laid down certain conditions which should be complied with to be eligible to draw down the State's share of Performance Grant. One of the conditions was to place The Annual Report of the Director of Local Fund Audit before the State Legislature. At present, there is no provision of preparing and laying down the Annual Report of Director, Local Fund Audit before the State Legislature in the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954. In order to make such provisions a new section 18 is proposed to be added in the aforesaid Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत महामहिम
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(25)वित्त/कर-अनु./2011 दिनांक: 09.3.2011

**प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान
विधानसभा, जयपुर।]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 8 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (1) of section 21 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the period, form and manner in which return shall be furnished by a registered dealer and the late fees which shall be payable for delayed furnishing of return.

Clause 13 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (1) of section 80 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the time, form and manner in which information about the place of business shall be furnished by a clearing or forwarding agent.

Clause 17 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the time and manner in which entertainment tax shall be levied, calculated and paid.

Clause 21 of the Bill, which seeks to substitute proviso (3) of section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the class of consumers for the purpose of reduction and remission of electricity duty under the said proviso.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

**अशोक गहलोत,
Minister Incharge.**

**1. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED
ACT, 2003
(Act No. 4 of 2003)**

XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(1) to (25) XX XX XX

(26) “place of business” means any place in the State of Rajasthan where a dealer purchases or sells goods and includes,-

- (a) any warehouse, godown or other place where the dealer stores goods;
- (b) any place where the dealer processes, produces or manufactures goods;
- (c) any place where the dealer keeps his accounts, registers and documents;
- (d) any vehicle or carrier wherein the goods are stored or business is carried on;

(27) to (43) XX XX XX

(44) “works contract” means a contract for works and labour or services involving transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) in its execution;

(45) XX XX XX

3. Incidence of tax.- (1) XX XX XX

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than that enumerated in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in Schedule I, at the rate as may be notified under sub-section (3) of section 4, subject to the condition that such annual turnover does not exceed rupees fifty lacs in a year.

(3) to (6) XX XX XX

4. Levy of lax and its rate.- (1) to (6) XX XX XX

(7) Notwithstanding anything contained in this Act, any registered dealer, who imports into, or manufactures in, the State such goods as may be notified by the State Government, may, at his option, pay, in lieu of the tax payable by him on sale price of such goods under this Act, a tax at full rate on the maximum retail price of such goods in the manner as may be prescribed:

Provided that where a dealer has purchased any goods-

- (a) from aforesaid importer or manufacturer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods; or
- (b) from another registered dealer where tax on the maximum retail price of such goods was paid in the State on an earlier occasion,

the purchasing dealer, irrespective of whether he is registered or not, while making resale of such goods in the State, shall, notwithstanding anything contained elsewhere in the Act, be entitled to recover from the buyer the amount of tax paid by him at the time of purchase of such goods under such conditions and restrictions, and in such manner, and within such time, as may be prescribed.

XX XX XX XX

15. Furnishing of security for registration.- (1) The authority competent to grant registration or the assessing authority shall, as a condition to the grant of registration to a dealer or at any time after such grant, require him to furnish in the prescribed manner and within the time specified by such authority, the initial security or such additional security as may be considered necessary-

- (a) for the timely payment of the amount of tax or other sum payable by him under this Act; and
- (b) for the safe custody of books of accounts or any other documents required to be maintained under this Act and the rules made thereunder.

(2) to (8) XX XX XX

XX XX XX XX

18. Input Tax Credit.- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of

section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

- (a) to (f) XX XX XX
- (g) being used in the State as capital goods;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

- (2) to (4) XX XX XX
- XX XX XX XX

21. Filing of return.- (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and furnish return, for such period, in such form and manner and within such time as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

- (2) to (3) XX XX XX
- XX XX XX XX

25. Assessment in case of avoidance or evasion of tax.- (1) Where the assessing authority or any officer authorized by the Commissioner in this behalf has reasons to believe that a dealer has avoided or evaded tax or has not paid tax in accordance with law or has availed input tax credit wrongly, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period, that taxable turnover or such dealer on which tax has been avoided or evaded or has not been paid in accordance with law or wrong input tax credit has been availed and assess the tax to the best of his judgment.

(2) The tax assessed under sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of the notice of demand. However, the assessing authority or any officer authorized by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.

(3)The assessment under sub-section (1) shall not be made after the expiry of a period of six months from the date of making out the case. However, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, in

any particular case, extend this time limit for a further period not exceeding six months.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year or quarter, as the case may be; and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

XX XX XX XX

38. Liability for payment of tax or demand.- (1) to (3) XX XX

(4) Where a dealer or a person has filed an appeal to the Appellate Authority against an order passed by an assessing authority or any other officer, the said Appellate Authority may, after registering such appeal and after having heard the appellant and the assessing authority or officer or any representative thereof, stay the recovery of the disputed amount of tax or demand or any part thereof for a period of six months from the date of such order or till the disposal of the appeal, whichever is earlier, on the condition that the said dealer or the person furnishes sufficient security to the satisfaction of, the Assessing Authority or the officer, as the case may be, in such form and in such manner as may be prescribed. However, the appellate authority may for reasons to be recorded in writing continue such stay beyond the aforesaid period of six months for a further period not exceeding six months:

Provided that where an application for stay is not disposed of within a period of thirty days from its filing and the delay is not attributable to the applicant, the same shall be deemed to have been accepted subject to the condition that such dealer or person furnishes sufficient security to the satisfaction of the Assessing Authority or the officer, as the case may be, in such form and in such manner as may be prescribed.

(5) to (7) XX XX XX

XX XX XX XX

53. Refund.- (1) Where any amount is refundable to a dealer under the provisions of this Act, after having duly verified the fact of deposit of such amount, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall in the prescribed manner refund to such dealer the amount to be refunded either by cash payment or by adjustment against the tax or other sum due in respect of any tax period:

Provided that in case of the dealer who files returns electronically and also opts for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, refund may be made provisionally to the extent of fifty percent of the refundable amount subject to the condition of subsequent verification of the deposit of refundable amount.

(2) to (3) XX XX XX

(4) The refund amount under this section shall carry interest with effect from the date of its deposit at such rate as may be notified by the State Government from time to time.

(5) to (6) XX XX XX

XX XX XX XX

58. Penalty for failure to furnish return.- Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed to furnish prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty,-

(i) in case the dealer is required to pay tax month under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

(ii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

XX XX XX XX

80. Liability to obtain certificate and furnish information by certain agents.- (1) A clearing or forwarding agent who in the course of his business renders his service for booking or taking delivery of any consignment of goods liable to tax or handles any document of title relating to goods liable to tax, shall obtain a certificate from the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, in whose territorial jurisdiction he conducts his business, in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) to (3) XX XX XX

XX XX XX XX

83. Appeal to the Tax Board.- (1) to (6) XX XX XX

(7) The Tax Board, during the pendency of an appeal before it, shall not stay any proceeding but it may, on an application in writing from the dealer, stay the recovery of the disputed amount of tax or any other sum or any part thereof on the condition of furnishing adequate security to the satisfaction of the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner in this behalf; and the amount found ultimately due shall be subject to interest from the date it became first due, in accordance with the provisions of this Act.

(8) to (10) XX XX XX

XX XX XX XX

**2. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENT TAX ACT, 1957
(Act No. 24 of 1957)**

XX XX XX XX

3. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(1) to (4) XX XX XX

(5) "entertainment" includes any exhibition (show) performance, amusement, game or sport and the cable service to which persons are admitted for payment;

(6) "entertainment tax" means the tax-levied and charged under section 4 and includes the additional tax payable under section 6A;

(6A) to (13) XX XX XX

XX XX XX XX

5. Manner of payment of tax.- (1) Subject to other provisions of this Act, the entertainments tax shall be levied in respect of each person admitted on payment and shall be calculated and paid on the number of admission.

(2) The entertainments tax shall be due and recoverable from the proprietor.

(3) The proprietor shall submit such returns relating to payments for admission to an entertainment to such authority, in such manner and within such period as may be prescribed.

XX XX XX XX

5B. Assessment. - (1) XX XX XX

(2) If no return is submitted by the proprietor under sub-section (3) of section 5 and sub-section (1) of section 5-A within the period prescribed or if the return submitted by him appears to be incorrect or incomplete the prescribed authority shall, after making such enquiry as it considers necessary, determine the tax due under all or any of the provisions of sections 4, 4-A and 6-A and assess the proprietor to the best of its judgment:

Provided that before taking action under this sub-section, the proprietor shall be given a reasonable opportunity of proving the correctness and completeness of any return submitted by him or that no return was due from him.

(3) XX XX XX

XX XX XX XX

9-A. Interest on failure to pay tax or penalty. - (a) If the amount of any tax payable under section 4, 4-A or 6-A is not paid in the manner provided in section 5 or 5A within the period allowed, or

XX XX XX XX

**3. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ELECTRICITY
(DUTY) ACT, 1962
(Act No. 12 of 1962)**

XX XX XX XX

3. Electricity duty on energy consumed.- There shall be levied for, and paid to, the State Government on the energy consumed by a consumer or by a person other than a supplier generating energy for his own use or consumption, a duty (hereinafter referred to as the 'electricity duty') computed at such rate as may be fixed by the State Government from time to time by notification in the Official Gazette:

Provided that -

(1) to (2) XX XX XX

(3) Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to do so, it may by notification in the Official Gazette and on such terms, conditions and restrictions as may be laid down in the notification, reduce or remit-

(a) the electricity duty on the energy consumed-

(i) by a consumer in any industry in the manufacture, production, processing or repair of goods;

(i-a) by a person generating energy for his own use or consumption;

(ii) by or in respect of any mine as defined in the Mines Act, 1952 (Central Act 35 of 1952);

(b) whether prospectively or retrospectively, the electricity duty on the energy consumed by or in respect of any municipal board or council or Panchayat or Panchayat Samiti or other local authority, for the purpose of, or in respect of public street lighting;

subject, however, in the case of clause (a), to the condition that any reduction or remission so made shall not be applicable to energy consumed in respect of any premises used for commercial or residential purposes.

XX XX XX XX

3C. Levy of urban cess.- (1) There shall be levied for, and paid to, the State Government on the energy consumed by a consumer or by a person other than a supplier generating energy for his own use or consumption, a cess to be called "urban cess" at the rate of ten paise per unit:

Provided that no cess under this section shall be levied on the energy,-

(a) consumed by the Government of India;

(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any Railway by the Government of India;

(c) consumed by a cultivator in agriculture operations;

(d) consumed in areas outside the municipal area in the State;

(e) consumed in domestic category in municipal area where consumption does not exceed 100 units per month;

(f) consumed by the following classes of institutions, namely:-

- (i) hospitals or dispensaries, which are not maintained for private gain,
- (ii) recognized educational institutions, which are not maintained for private gain,
- (iii) places of public worship,

subject to the condition that the exemption under this sub-clause shall not be applicable to energy consumed in buildings or part of buildings, used for commercial purposes;

(g) generated at voltage not exceeding 100 volts.

(2) to (3) XX XX XX
XX XX XX XX

**4. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(Act No. 14 of 1999)**

XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context,-

- (i) to (viii) XX XX XX
- (viii A) "Chief Controlling Revenue Authority" means Rajasthan Tax Board constituted under section 90 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
- (ix) to (x) XX XX XX
- (xi) "Conveyance" includes,-
 - (i) a conveyance on sale,
 - (ii) every instrument,
 - (iii) every decree or final order of any civil court,
 - (iv) every order made by the High Court under section 394 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) in respect of amalgamation of the companies,
 - (v) sale of air rights,
 - (vi) sale/consent related to below surface rights,

by which property, whether movable or immovable, or any estate or interest in any property is transferred to, or vested in, any other person, intervivos, and which is not otherwise specifically provided for by the schedule;

(xii) to (xxxvi) XX XX XX

(xxxvi)'stock exchange' means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities.

XX

XX

XX

XX

THE SCHEDULE
(See Section 3)

Description of Instrument	Proper Stamp Duty		
1	2		
1. to 20.	XX	XX	XX
21. Conveyance as defined by section 2 (xi),-			
(i) if relating to immovable property;		Eleven percent of the market value of the property.	
(ii) if relating to movable property;		Half (0.5) percent of the market value of the property.	
(iii)if relating to amalgamation of companies by the order of the High Court under section 394 of the Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956).		Ten percent of the market value of the property.	

Exemption:- Assignment of copy right by entry made under the Indian Copy Right Act, 1957 (Act No. 14 of 1957).

Explanation:- (i) For the purpose of this article an agreement to sell an immovable property or an irrevocable power of attorney or any

other instrument executed in the course of conveyance or lease e.g. allotment letters, patta, licence etc. shall, in case of transfer of the possession of such property before, at the time of or after the execution of any such instrument, be deemed to be a conveyance and the stamp duty thereon shall be chargeable accordingly:

Provided that the provisions of section 51 shall be applicable *mutatis mutandis* to such agreement or power of attorney or instruments as are applicable to a conveyance:

Provided further that the stamp duty already paid on such agreement or power of attorney or instrument shall at the time of execution of a conveyance or lease in pursuance of such instruments subsequently, be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance or lease.

Explanation.- (ii) For the purpose of clause (iii), the market value of the property shall be deemed to be the amount of total value of shares issued or allotted by Transferee Company, either in exchange or otherwise, and the amount of consideration, if any, paid for such amalgamation.

22 to 58	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

**5. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950
(Act No. 2 of 1950)**

XX XX XX XX

9. Appointment of Commissioner and Excise Officers.- (1) XX XX

(1A) The State Government may also appoint such and so many other persons as it thinks fit and necessary to be: -

- (i) Director Enforcement, Special Director Enforcement, Additional Director Enforcement, Joint Director Enforcement, Zonal Director Enforcement, Deputy Director Enforcement and Assistant Director Enforcement;
- (ii) Deputy Excise Commissioners;
- (iii) District Excise Officers;
- (iv) Other inferior Officers.

(1-B) to (3) XX XX XX

XX XX XX XX

57. Penalty for possession of excisable article unlawfully imported.- Whoever without lawful authority has in his possession any quantity of any excisable article knowing the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, cultivated or collected or knowing the prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, which may extend to one thousand rupees or with both.

XX XX XX XX

**6. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MOTOR
VEHICLES TAXATION ACT, 1951
(Act No. 11 of 1951)**

XX XX XX XX

4-D. Levy of Green Tax.- (1) There shall be levied and collected a cess called "green tax" in addition to the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such vehicles suitable for use on road as specified in column (2) of the table below at the rates fixed by the State Government by notification in the Official Gazette not exceeding the maximum rates

specified in column (3) of the said table, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

TABLE

S.No.	Class and age of the vehicle	Maximum rate of cess (in Rupees)
1	2	3
1.	Non-transport vehicle completed 15 years from the date of its registration, at the time of renewal of certificate of registration as per sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988). (a) two wheelers (b) other than two wheelers	750.00 1500.00
2.	Transport vehicle completed 5 years from the date of its registration, at the time of renewal of fitness certificate as per section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988)	600.00 per annum.

(2) The provisions of the Act and the rules made thereunder excluding those relating to refund of tax shall, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1), as they apply to the imposition, payment, computation and recovery of tax payable under this Act.

XX

XX

XX

XX